132

संख्या-1653 /एक-10-2023

प्रेषक,

जी0 एस0 नवीन कुमार,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अयोध्या।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊः दिनांकः 01/12/2023

विषयः- कोविड-19 की रोकथाम, उपचार व उससे बचाव के लिये कार्यरत कार्मिकों की मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को एकमुश्त अनुग्रह धनराशि दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-415/आ0लि0/अवमानना वाद/2023-24, दिनांक 25.10.2023 एवं पत्र संख्या-427/आ0लि0/अवमानना वाद/2023-24 दिनांक 08 नवम्बर, 2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- रिट याचिका संख्या-3940/2023 रवि कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य सरकार व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा स्व0 श्रीमती अंजू तिवारी पत्नी श्री रवि कुमार तिवारी, आंगनबाड़ी कार्यकत्री, ग्राम पंचायत बैदरापुर सोहवल, अयोध्या की कोविड-19 की रोकथाम हेतु विभाग के कार्य में निगरानी समिति में ड्यूटी लगी होने के दृष्टिगत अपने निर्णय दिनांक 17.05.2023 से निम्नलिखित आदेश दिया गया था:-

"Learned standing counsel has no objection to the same. In view thereof, petitioner is permitted to make a fresh detailed representation to respondent no.2 District Magistrate/Collector, District-Ayodhya, raising all his grievance, annexing therewith a copy of this writ petition along with annexures and all the documents in support of his claim within a period of two weeks from today along with a certified copy of this order.

In case such a representation is moved by petitioner, respondent no.2 shall consider and decide the same in accordance with law by a reasoned and speaking order within a period of two months from the date a certified copy of this order along with representation is placed before him.

It is made clear that this court has not applied itself on the merits of the case and all questions are left open to be considered and decided by the competent authority in accordance with law.

With the aforesaid directions, the writ petition is disposed of. "

3- प्रकरण में शासन के पत्र संख्या- 1526/एक-10-2023, दिनांक 09 अक्टूबर, 2023 द्वारा कोविड ट्रैक पोर्टल पर दर्ज नहीं होने एवं आर0टी0पी0सी0आर0 जांच न होने के सम्बन्ध में दिये गये परामर्श के आलोक में जिलाधिकारी, अयोध्या के कार्यालय ज्ञाप-781/वै0आ0-कोविड-19 प्रत्यावेदन निस्तारण/2023, दिनांक 16.10.2023 द्वारा प्रत्यावेदन निस्तारण किया

गया।

4- प्रकरण में योजित अवमानना याचिका संख्या-2972 सीएपीएल/2023 रवि कुमार बनाम नितीश कुमार जिलाधिकारी, अयोध्या में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ द्वारा दिनांक-17.10.2023 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत है:-

4. The writ court vide order dated 17.05.2023 has not only directed to decide the representation of the petitioner but has also directed to decide the representation strictly in accordance with law, by reasoned and speaking order, therefore, the reason so indicated in the order dated 16.10.2023 does not appear to have been given with proper application of mind, rather the same is contrary to the Death Certificate being issued by the Chief Medical Officer; thus, the District Magistrate, Ayodhya will have to re-visit the order dated 16.10.2023.

5 Sri Sunil Bajpai, learned Addl. Chief Standing Counsel has submitted that he shall apprise this order to the District Magistrate, Ayodhya and shall file affidavit of compliance within a period of four weeks, therefore, he may be given four weeks' time to file affidavit of compliance.

6. List on 29.11.2023 within top ten cases.

7. On or before 29.11.2023, the District Magistrate, Ayodhya shall file affidavit of compliance making compliance of the order of the writ court in its letter and spirit. It is made clear that if it is found on the next date that affidavit of compliance is not filed or the same is filed but is not in conformity with the Government Order and the Death Certificate so issued by the Chief Medical Officer, his personal appearance may be directed on that date.

5- मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 17.10.2023 के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, अयोध्या के पत्र दिनांक 25.10.2023 द्वारा मार्गदर्शन मांगा गया। प्रकरण में रिविजिट किये जाने हेतु चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 महानिदेशालय के स्तर से निर्गत पत्र दिनांक 27.12.2022 के परिप्रेक्ष्य में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अयोध्या की आख्या प्राप्त कर उपलब्ध कराने के निर्देश शासन के पत्र दिनांक 31.10.2023 द्वारा दिये गये। जिलाधिकारी, अयोध्या द्वारा अपने पत्र दिनांक 08 नवम्बर, 2023 से मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अयोध्या की आख्या दिनांक 07.11.2023 उपलब्ध करायी गयी।

6- प्राप्त आख्या पर पुनर्विचार करते हुए चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के कोविड ट्रैक पोर्टल पर दर्ज हो जाने के दृष्टिगत श्रीमती अंजू तिवारी, आंगनबाडी कार्यकत्री की कोविड-19 से मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को रू0 50.00 लाख की एकमुश्त अनुग्रह धनराशि दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

7- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्रीमती अंजू तिवारी, आंगनबाडी कार्यकत्री की कोविड-19 से मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को रू0 50.00 लाख की एकमुश्त अनुग्रह धनराशि दिये जाने के लिए शासनादेश संख्या-411/एक-11-2021-04(जी)/2015-

टी0 सी0, दिनांक 22.06.2021 में दी गयी व्यवस्था तथा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ द्वारा पारित निर्णय के क्रम में वित्तीय वर्ष-2023-24 में रू0 50,00,000/- (रूपये पचास लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन जिलाधिकारी, अयोध्या के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।
2. राजस्व अनुभाग-11 के शासनादेश संख्या-249/एक-11-2020-04(जी)/2015 टी.सी. दिनांक 11.04.2020, शासनादेश संख्या-411/एक-11-2021-4(जी)/2015 टी0 सी0 दिनांक 22 जून, 2021 एवं राजस्व अनुभाग-10 के शासनादेश संख्या-1394/एक-10-2021-33(08)/2021, दिनांक 26.07.2021 में निहित प्राविधानों/शर्तो के आलोक में जिलाधिकारी प्रत्येक प्रकरण का स्वयं सम्यक परीक्षण कर लेंगे तथा यह सुनिश्चित होने के उपरान्त ही सम्बन्धित कार्मिक की ड्यूटी कोविड-19 की रोकथाम, बचाव अथवा उपचार में लगायी गयी थी एवं कोविड के संक्रमण से ही उसकी मृत्यु हुयी है। जिलाधिकारी पूर्ण संतुष्ट होने के उपरान्त ही सम्बन्धित कार्मिक के आश्रितों को अहेतुक सहायता धनराशि की स्वीकृति करेंगे।
3. स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी, अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने की शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं0-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका हैं, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता हैं) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ई-पेमेन्ट के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।
4. उक्त स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट https://rahat.up.nic.in पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।
5. स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है, तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2024 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाय।
6. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।
7. व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

8- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 50,00,000/- (रूपये पचास लाख मात्र) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-09-राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

9- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Digitally Signed by जी0 एस0 नवीन कुमार
Date: 01-12-2023 15:34:49
Reason: Approved

(जी0 एस0 नवीन कुमार)
सचिव।

संख्या- 1653(1)/एक-10-2023 तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
4- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई- बजट), राजस्व विभाग उ0प्र0 शासन ।
5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
6- सम्बन्धित कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5 ।
8- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-06/12/2023

प्रेषण संख्या:- 1653
आवंटन आदेश संख्या:- 001-1653
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
09 - राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	अयोध्या-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 41500000	5000000 41500000
	योग	वर्तमान प्रगामी	5000000 41500000	5000000 41500000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पचास लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चार करोड़ पन्द्रह लाख

(जाह्नवी मोहन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन